A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

सीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
50 / अपील / 15	23.06.2015	28.02.2022

1. कान्हा आ0 स्व0 रामनिवास जाति बाबाजी।
2. छोटू आ0 स्व0 रामनिवास जाति बाबाजी निवासीगण ग्राम गावडी तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से – श्री नवेद केसर एड0
रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.1976 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 22.05.1976 से खसरा सख्या 524 रकबा 14 बीघा 4 बीस्वा वाके ग्राम गावडी तहसील नैंनवा लीजदार से खातेदारी देने हेतु खोला गया था जिसे तहसीलदार नैंनवा द्वारा खारिज कर दिया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित नामान्तरकरण संख्या में अंकित कृषि भूमि वाके ग्राम गावडी में विस्थित हैं। नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.05.1976 में नामान्तरकरण खारिज करने का जो आधार बनाया गया हैं वह विधिक आधार नहीं हैं। उक्त विवादित भूमि का लीजदार रामनिवास आ0 सुखदास जाति बाबाजी निवासी गावडी तहसील नैंनवा था, जिसकी मृत्यु दिनांक 31.10.2004 को हुई हैं। अपीलांट के पिता स्व0 रामनिवास का नामान्तरकरण निरस्त करने से पूर्व विवादित कृषि भूमि के संबंध में कोई जांच नहीं की। स्व0 रामनिवास को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण का आदेश पारित किया हैं। मृतक रामनिवास जो विवादित कृषि भूमि का लीजदार था। उसके तीन पुत्र कान्हा, शंकर व छोटू हुये। जिनमें से शंकर के लापता होने से रामनिवास के दोनों पुत्र कान्हा व छोटू उक्त कृषि भूमि पर वर्तमान में भी अपीलांट का ही शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उक्त विवादित भूमि खसरा संख्यास 524 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा वाके

अति0 जिला कलक्टर

A 6/2

पटवार क्षेत्र रेटोदा तहसील नैंनवा जिला बून्दी पर लीजदारी प्राप्त होने के से ही रामनिवास एवं उनके पुत्र काबिज होकर खेती कर रहे हैं जिनके द्वारा उक्त की भूमि पर लाखों रूपये खर्चे करके उसके काबिज काश्त बनाया हैं। उक्त भूमि पर करीब 25 वर्ष पहले अपीलांट के पिता रामनिवास द्वारा कुआॅ खुदवाया था जो वर्तमान में भी मौजूद हैं। अपीलांटस् को उक्त नामान्तरकरण आदेश सर्वप्रथम जानकारी माह अप्रैल 2015 में ओलावृष्टि से विवादित भूमि पर उनके द्वारा बोयी गयी फसल के मुआवजें हेतु आवेदन करने पर उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई। वर्तमान में एवं पूर्व नियमों में लीजदार से खातेदारी अधिकार देने के आदेश होते हुये भी तहसीलदार नैंनवा द्वारा विधिक त्रुटि की गई हैं। अपीलांट को विवादित नामान्तरकरण जानकारी होने पर नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 02.06.2015 को आवेदन किया। नामान्तरकरण की नकल दिनांक 02.06.2015 को प्राप्त हुई। उसी दिन नकल हेतु आवेदन करने पर नकल प्राप्त हुई। उक्त अवधि के संबंध में समय मुजरा दिये जाने हेतु मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत अपील के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.05.1976 खारिज किया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने व्यक्त किया कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.1976 विधि अनुकूल हैं। तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रकरण में गवाह, सबूतों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया हैं। अतः प्रस्तुत अपील खारिज कर तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.1976 यथावत रखा जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.05.1976 से मृतक रामनिवास आ0 सुखदास जाति बाबाजी जो राजस्व रिकार्ड में लीजदार अंकित था उसे खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने हेतु नामान्तरकरण संख्या 57 खोला गया था जिसे नायब तहसीलदार नैंनवा द्वारा यह नोट अंकित कर खारिज कर दिया कि आसामी लीजदार हैं, अतः नामान्तरकरण खारिज किया जाता हैं। नामान्तरकरण खारिज करते समय लीजदार को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाना नामान्तरकरण के अवलोकन करने से जाहिर होता हैं जिससे अपीलांट के तर्को को बल मिलता हैं। तहसीलदार नैंनवा द्वारा नामान्तरकरण में खारिज करते समय राजस्व नियमों का हवाला नहीं दिया गया हैं कि लीजदार को खातेदारी अधिकार क्यों नहीं प्रदत्त किये जा सकते। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुये इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय से करवाया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.1976 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक रामनिवास के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/3

...लें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की ... मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बून्दी (बूंदी)